श्री नरेन्द्र कुमार सिंह, जिला पदाधिकारी, मुंगेर की अध्यक्षता में दिनांक 07.07.2013 को अधोहस्ताक्षरी के बैठक में संपन्न मनरेगा कार्यक्रम के प्रगति की समीक्षात्मक बैठक की कार्यवाही

उपस्थिति :—

1. श्री नरेन्द्र कुमार सिंह, जिला पदाधिकारी, मुंगेर।
2. श्री रत्नेश कुमार, उप विकास आयुक्त, मुंगेर।
3. कार्यक्रम पदाधिकारी, सदर, जमालपुर, बरियारपुर, धरहरा, तारापुर, असरगंज, संग्रामपुर।
4. श्री रवि कुमार धानुका/श्री अंकुश सिंह, पी.एम.आर.डी.एफ., मुंगेर।

सर्वप्रथम जिला पदाधिकारी द्वारा उपस्थिति की समीक्षा के क्रम में कार्यक्रम पदाधिकारी, हवेली खड़गपुर के अनुपस्थित रहने पर पृच्छा की गई। उप विकास आयुक्त, मुंगेर द्वारा बताया गया कि कार्यक्रम पदाधिकारी, ह0 खड़गपुर के हाथ में मोच आजाने के कारण दिनांक 26.6.13 से दिनांक 5.7.13 तक अवकाश का आवेदन दिया है, लेकिन अवकाश आगे बढ़ाने संबंधित उनका पत्र प्राप्त नहीं हुआ है। जिला पदाधिकारी, मुंगेर द्वारा अनुपस्थित अवधि का वेतन स्थगित करने का आदेश दिया गया। स्पष्टीकरण प्राप्त कर अनुशानिक कार्रवाई करने का निदेश दिया गया।

माह जून, 2013 के योजनान्तर्गत प्रगति की समीक्षा के क्रम में निदेश दिया गया कि राज्यस्तरीय रैंकिंग के पैटर्न पर जिलान्तर्गत प्रखण्डवार की गई रैंकिंग के आधार पर खराब उपलब्धि वाले कार्यक्रम पदाधिकारी से स्पष्टीकरण पूछकर आवश्यक कार्रवाई की जाय। श्री रवि कुमार धानुका, पी.एम.आर.डी.एफ., मुंगेर द्वारा बताया गया कि मनरेगा योजना के उपलब्धि के आधार पर एम.आई.एस. पर पदर्शित प्रखण्डवार रैंकिंग इस प्रकार है :— बरियारपुर—1, संग्रामपुर—2, खड़गपुर—3, जमालपुर—4, तारापुर—5, टेटियावम्वर—6, असरगंज—7, मुंगेर सदर—8 एवं धरहरा —9 है।

1. समीक्षा के क्रम में यह पाया गया कि मनरेगा कर्मी के कमी के कारण अपेक्षित प्रगति नहीं हो पा रही है। जिला पदाधिकारी, मुंगेर द्वारा निदेश दिया गया कि वर्त्तमान में उपलब्ध कर्मियों को प्रखण्डवार इस प्रकार Rationalize किया जाय कि प्रति पंचायत रोजगार सेवक को दो पंचायत आवंटित कर कार्य कराया जा सके। प्रखण्ड स्तर में सब से कम दो पंचायत रोजगार सेवक सदर प्रखण्ड मुंगेर में है। अतः ह0 खड़गपुर, टेटियावम्वर एवं संग्रामपुर प्रखण्डों में जहॉ पंचायत रोजगार सेवक दो पंचायत के मापदण्ड से अधिक हो को स्थान्नतरित करने का प्रस्ताव उप विकास आयुक्त, मुंगेर शीध्र तैयार कराकर अनुमोदन हेतु प्रस्ताव उपस्थापित करते हुए स्वीकृति प्राप्त कर लें।

   समीक्षा के क्रम में यह पाया गया है कि प्रखण्ड जमालपुर में पंचायत तकनीकी सहायक उपलब्ध नहीं है, इसके संबंध में यह निदेश दिया गया कि जिन प्रखण्डों में पंचायत तकनीकी सहायक की संख्या अधिक हो वहॉ से जमालपुर प्रखण्ड के लिए पंचायत तकनीकी सहायक को स्थानान्तरित करने का निदेश दिया गया।

   कनीय अभियंता एवं पंचायत तकनीकी सहायक के मदद से योजना की मापी करेंगी। श्री विनित प्रकाश, सहायक अभियंता, डी.आर.डी.ए., मुंगेर, सदर अनुमंडल क्षेत्र के सभी प्रखण्डों यथा मुंगेर सदर जमालपुर, बरियारपुर एवं धरहरा का भी मनरेगा कार्यो को सम्पादित करेंगे।

   उपरोक्त वर्णित सभी कर्मियों के स्थानान्तरित करने का प्रस्ताव उप विकास आयुक्त, मुंगेर शीध्र अनुमोदन हेतु संचिका के माध्यम से उपस्थापित करेंगे।

2. <u>मनरेगा भवन :—</u> इस जिले के प्रखण्ड एवं पंचायत मुख्यालय में राजीव गॉधी सेवा केन्द्र, मनरेगा भवन का कार्य प्रारंभ नहीं है। उप विकास आयुक्त, मुंगेर द्वारा बताया गया कि विभागीय समीक्षा में इस योजना में कार्य यथा शीध्र प्रारंभ करने का निदेश दिया गया है। इस सन्दर्भ में जिला पदाधिकारी, मुंगेर द्वारा निदेश दिया गया कि

i. जिन प्रखण्ड परिसर में सरकारी जमीन उपलब्ध है वहॉ मनरेगा भवन का कार्य इसी माह में प्रारंभ किया जाय। प्रखण्ड परिसर में पूर्व से अवस्थित भवनों के क्रम में (Symmetry) में ही इस भवन का निर्माण मानक प्राक्कलन एवं नक्शा के अनुरूप किया जाएगा ।

ii. पंचायतों में मनरेगा भवन, पूर्व से स्थापित पंचायत भवन, आंगनवाड़ी केन्द्र के आस—पास उपलब्ध सरकारी जमीन पर मानक प्राक्कलन एवं नक्शा के अनुरूप कार्य प्रारम्भ शीध्र करने हेतु सभी कार्यक्रम पदाधिकारी को आवश्यक निदेश दिये गये।

3. जिला पदाधिकारी, मुंगेर के ज्ञापांक 2891 दिनांक 29.11.2011 में श्रमःसामग्री 85:15 के सन्दर्भ में दिनांक 2.7.2013 को सम्पन्न निगरानी एवं अनुश्रवण समिति की बैठक में भी श्रमःसामग्री अनुपात 60:40 करने संबंधि निदेश माननीय सांसद—सह—अध्यक्ष, महोदय, जिला निगरानी एवं अनुश्रवण समिति, मुंगेर द्वारा दिया गया है।

   अतः विभागीय दिशा—निर्देश के आलोक में श्रमःसामग्री अनुपात 60:40 पंचायतवार मेनटेन करते हुए कार्य सम्पादित करावें।

4. रोजगार सृजन :–

जिला पदाधिकारी, मुंगेर द्वारा सभी कार्यक्रम पदाधिकारी, मुंगेर जिला को निदेश दिया गया कि 1–4, मई, 2013 के बीच विशेष अभियान के तहत महादलित परिवारों से जो काम की मांग का आवेदन प्राप्त हुआ था (पूर्व प्रतिवेदन में उल्लेखित 5459 महादलित परिवारों द्वारा 545900 मानव दिवस, काम की मांग का आवेदन प्रतिवेदित है) उसकी प्रवृष्टि दिनांक 15.7.2013 तक कराया जाय। शेष बची आवेदन जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, मुंगेर को दिनांक 16.7.2013 तक निश्चित रूप से उपलब्ध कराने का निदेश सभी कार्यक्रम पदाधिकारी से किया गया। साथ ही विभागीय निदेश पत्रांक 144984 दिनांक 09.04.2013 के आलोक में मेट के प्रशिक्षण के लिए 5–5 मेट का नाम ग्राम सभा से पारित कराते हुए दिनांक 15.7.2013 तक सूची उपलब्ध कराने का निदेश दिया गया।

5. सामाजिक अंकेक्षण :–

सामाजिक अंकेक्षण के विहित प्रपत्र को अभी तक अपलोड नहीं किये जाने पर जिला पदाधिकारी, मुंगेर के द्वारा खेद प्रकट करते हुए सभी कार्यक्रम पदाधिकारी, मुंगेर को निदेश दिया गया कि विहित प्रपत्र में सामाजिक अंकेक्षण से संबंधित आकड़ों को शीघ्र अपलोड करावे। बुधवारी जॉच के दिन सामाजिक अंकेक्षण के विहित प्रपत्र सभी जॉच पदाधिकारी को उपलब्ध कराने का निदेश दिया गया। साथ सामाजिक अंकेक्षण हेतु दीवाल लेखन आदि कार्य विभागीय निदेश के आलोक में सम्पन्न करावें।

6. वृक्षारोपन :–

बरसात के मौसम में मिट्टी कार्य नहीं होने के कारण विभागीय दिशा–निर्देश के अनुरूप वृक्षारोपण कार्य प्रारंभ करने का निदेश दिया गया। उप विकास आयुक्त, मुंगेर द्वारा सभी कार्यक्रम पदाधिकारी को निदेश दिया गया कि जरूरत के अनुसार विहित प्रपत्र में पौधों की मांग हेतु अधियाचना जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, मुंगेर को दिनांक 15.7.2013 तक उपलब्ध करावे ताकि समेकित रूप से जिला वन पदाधिकारी, मुंगेर से उतने वृक्षों (किस्म/प्रजातिवार) उपलब्ध कराने हेतु अनुरोध किया जा सके। वृक्षारोपण हेतु स्कूल, तालाब आदि स्थालों का चयन किया जाय। साथ ही ध्यान रखा जाय कि भविष्य में भी वृक्ष संरक्षित रहें।

7.जॉब कार्ड का सत्यापन :–

फर्जी एवं डुप्लीकेट जॉब कार्ड के सत्यापन की समीक्षा के क्रम में जिला पदाधिकारी, मुंगेर द्वारा सभी कार्यक्रम पदाधिकारी, मुंगेर को निदेश दिया गया कि जॉच कर आवश्यक सुधार कर ले और सत्यापन कार्य तेजी से करें। पी0एम0आर0डी0एफ0 साफ्टवेयर के माध्यम से सभी कार्यक्रम पदाधिकारी को वैसे जॉब कार्डधारियों जिन्होंने पहले काम नहीं किया है को चिन्हित कर उनका नाम पहले हटायेंगे।

वैसे मनरेगा मजदूर जिनका खाता पोस्ट आफिस में है को निकटतम बैंक शाखा में खाता को स्थानान्तरित कराने की कार्रवाई इसी माह पूरी कर ली जाए।

7.अभिलेख संधारण :–

जिला पदाधिकारी, मुंगेर द्वारा निदेश दिया गया कि सभी कार्यक्रम पदाधिकारी, मुंगेर प्रखंड एवं पंचायत स्तर पर अभिलेखों एवं रोकड़ पंजियों का संधारण एवं रख–रखाव ठीक से करें। एक ही योजना से संबंधित अभिलेख, मापी पुस्तिका, अभिश्रव एक साथ रखें एवं ऑनलाईन इन्ट्री कर लें। योजना पंजी अद्यतन कर लें। विहित प्रपत्र में संबंधित पदाधिकारी/कर्मियों के हस्ताक्षर के साथ योजना अभिलेख बंद होनी चाहिए।

सभी कार्यक्रम पदाधिकारी, मुंगेर को निदेश दिया गया कि योजना का फोटो यथाशीघ्र अपलोड कर लिया जाय। कनीय अभियंता एवं पंचायत तकनीकी सहायक की मदद से योजना की मापी की प्रविष्टि कर ली जाय।

तत्पश्चात धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक की कार्रवाई समाप्त की गई।

उप विकास आयुक्त, मुंगेर।

जिला पदाधिकारी मुंगेर।

ज्ञापांक 1537 / दिनांक 12/07/13

प्रतिलिपि :– उप विकास आयुक्त, मुंगेर/निदेशक एन0ई0पी0, मुंगेर/सभी अनुमंडल पदाधिकारी, मुंगेर/पी0एम0आर0डी0एफ0, मुंगेर/सभी प्रखंडों के नामित वरीय उप समाहर्ता, मुंगेर/सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी, मुंगेर/जिला सूचना विज्ञान पदाधिकारी, मुंगेर/सभी कार्यक्रम पदाधिकारी, मुंगेर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

उप विकास आयुक्त, मुंगेर।

जिला पदाधिकारी मुंगेर।

ज्ञापांक 1537 / दिनांक 12/07/13

प्रतिलिपि :– प्रधान सचिव, ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, पटना की सेवा में सादर सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :– आयुक्त, मुंगेर प्रमंडल, मुंगेर को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

उप विकास आयुक्त, मुंगेर।

जिला पदाधिकारी मुंगेर।